



राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक:- एफ. 1(1)(70) निमअ/स्था/पार्ट-1/2019/28531

जयपुर, दिनांक : 14-9-2021

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियमों के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के अधार पर मंत्रालयिक सेवा के निम्न कार्मिक को सहायक प्रशासनिक अधिकारी लेवल-10 के पद पर वर्ष 2021-22 की रिक्तियों की प्रति उनके नाम के समक्ष अंकित दिनांक से वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. स.	कार्मिक का नाम	पद रिक्ति की तिथि	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	श्री दिनेश कुमार शर्मा	01.04.2021	म.अ., मुख्यालय	सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद पर

उक्त कार्मिक को पदोन्नति पर वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

निम्न कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कारणों से चयन वर्ष 2021-22 में वरिष्ठ सहायक के पद से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति का प्रकरण सील बन्द रखा गया है:-

क्र. स.	नाम कर्मचारी	वर्ग	सील बन्द किये जाने का कारण	पद रिक्त होने की तिथि
1.	श्री हरिओम रावत	OBC	थानाधिकारी झालावाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 78/2021 भारतीय दण्ड संहिता की 1860 की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 308, 395, 427 आदि में अभियोग दर्ज होने एवं कार्मिक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण मुख्यालय के आदेश क्रमांक 15255-62 दिनांक 30.04.2021 के द्वारा निलम्बित किया गया।	01.04.2021

(रश्मि गुप्ता)
आयुक्त
महिला अधिकारिता

क्रमांक:-एफ. 1(1)(70) निमअ/स्था/पार्ट-1/2019/28532-538 जयपुर, दिनांक : 14-9-2021
प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, म.अ. मुख्यालय।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
4. उप निदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, झालावाड़।
5. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
6. संबंधित कार्मिक श्री.....।
7. आदेश प्रत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.